अवैध एजेंटों के खिलाफ की गई कार्रवाई

सरकार ने 26 मई, 2016 को राज्यों द्वारा शिकायतों की प्राप्ति पर अनुवर्ती कार्रवाई करने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है। लोगों को अवैध/नकली एजेंटों के माध्यम से न जाकर, पंजीकृत भर्ती एजेंटों की सेवाओं का उपयोग करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न गैर सरकारी संगठनों को संवद्ध करने के अलावा समय-समय पर दृश्य और प्रिंट मीडिया अभियान भी शुरू किए गए हैं। हर महीने प्रवासी कामगार संसाधन केंद्र (ओडब्ल्यूआरसी) से सरकार को भेजी जाने वाली अवैध एजेंटों की सूची जांच और अभियोजन शुरू करने के लिए राज्य सरकारों को भेजी जाती है। इन उपायों से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अवैध रूप से भर्ती की गतिविधि को कम करने की उम्मीद की जा रही है।

राज्य सरकारों के पास भेजे गए मामलों के विवरण के साथ-साथ चालू वर्ष में जारी किए गए अभियोजन स्वीकृति के विवरण निम्नानुसार है: -

वर्ष	राज्य सरकारों के पास भेजे गए मामले	राज्य सरकारों द्वारा मांगी गई अभियोजन स्वीकृति	जारी अभियोजन स्वीकृति
2016 (31 दिसंबर तक)	262	42	42

इस संबंध में सुरक्षित और कानूनी प्रवासन को बढ़ावा देने और अवैध प्रवासियों और अवैध एजेंटों की वृद्धि पर अंकुश लगाने के लिए 9 नवंबर, 2016 को विदेशी मामलों के राज्य मंत्री [जनरल (सेवानिवृत्त।) वीके सिंह] की अध्यक्षता में श्रमिकों को भेजने वाले दस शीर्ष राज्य के प्रतिनिधियों एवं राज्य पुलिस के अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई थी।